संख्या-24/2015/वे0आ0-2-349/दस-8(मु0स0स0)/2008 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 08 मई, 2015**

विषय- परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी तथा जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के पदों की वेतन विसंगति से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी तथा जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के पदों की वेतन विसंगति से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं:--

(i) स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद पर वर्तमान मे अनुमन्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/- के स्थान पर तत्काल प्रभाव अर्थात् प्रशासकीय विभाग का आदेश निर्गत होने की तिथि से उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/- अनुमन्य कराया जाये। साथ ही उक्त पदों को भरे जाने हेतु वर्तमान भर्ती की प्रक्रिया तथा सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता को बनाये रखते हुये कम्प्यूटर संचालन का व्यवहारिक ज्ञान की अर्हता का समावेश भी किया जाये।

(ii) जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/- के स्थान पर तत्काल प्रभाव अर्थात् प्रशासकीय विभाग का आदेश निर्गत होने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की तिथि से उच्चीकृत/ संशोधित वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/- अनुमन्य कराया जाये।

2- उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-24/2015/वे0आ0-2-349(1)/दस-8(मु0स0स0)/2008 टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

(3) निदेशक,एन0आई0सी0,छठां तल, योजना भवन,लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।